न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 39/2017 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम ''ए.यू. फाईनेन्सर्स(इण्डिया) लि.'')
पताः– 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 राजस्थान।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मूल चन्द उर्फ मुरली सैनी पुत्र लहरा राम (ऋणी व बंधनकर्ता)
   पताः– 73, सैनी मौहल्ला, ग्राम– कांवट, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला– सीकर राजस्थान।
   दूसरा पताः– पट्टा नं.– 29, ग्राम पंचायत– कांवट, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला– सीकर राजस्थान– 332708

2. दामोदर पुत्र लहरा राम (सहऋणी)
   पताः– 73, सैनी मौहल्ला, ग्राम– कांवट, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला– सीकर राजस्थान।

3. कालू राम पुत्र मूल चन्द (सहऋणी)
   पताः–73, सैनी मौहल्ला, ग्राम– कांवट, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला– सीकर राजस्थान।

4. निर्मला देवी पत्नी दामोदर (सहऋणी)
   पताः–73, सैनी मौहल्ला, ग्राम– कांवट, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला– सीकर राजस्थान।

5. महावीर प्रसाद पुत्र दामोदर प्रसाद (जमानती)
   पताः– 156, नीम का थाना रोड, सैनी कॉलोनी, ग्राम–कांवट, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, राजस्थान– 332708

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 26 दिसम्बर, 2017

6. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मूल चन्द उर्फ मुरली सैनी, दामोदर, कालू राम, निर्मला देवी, महावीर प्रसाद** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **मूल चन्द उर्फ मुरली सैनी पुत्र लहरा राम की सम्पत्ति जो ग्राम पंचायत– कांवट, पंचायत समिति– खण्डेला द्वारा जारी किया गया पट्टा नं.– 29 के अनुसार ग्राम पंचायत– कांवट, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि,**

भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 304.90 वर्गगज है, को बंधक रखकर **7,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **सात लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.06.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

1. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

2. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.06.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मूल चन्द उर्फ मुरली सैनी, दामोदर, कालू राम, निर्मला देवी, महावीर प्रसाद** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **मूल चन्द उर्फ मुरली सैनी पुत्र लहरा राम की सम्पत्ति जो ग्राम पंचायत– कांवट, पंचायत समिति– खण्डेला द्वारा जारी किया गया पट्‌टा नं.– 29 के अनुसार ग्राम पंचायत– कांवट, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 304.90 वर्गगज है**, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

5. आदेश आज दिनांकः 26 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official